

अनुसूची-3

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय

आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर-रैयत कृषक) (विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मैं.....पिता/पति.....
ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....
प्रखंड.....जिला.....का निवासी हूँ।
मैंने आलू की खेती का क्षेत्र विस्तार के लिए कृषक श्री.....
पिता/पति.....ग्राम.....पोस्ट.....
पंचायत.....प्रखंड.....जिला.....से
खाता संख्या.....खेसरा संख्या.....रकवा..... जमीन बटाई/ पट्टा
पर प्राप्त किया है।
2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर मेरे द्वारा आलू के प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र
विस्तार किया जायेगा।
3. उपर्युक्त सूचना सही है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी
होगी तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कृषक का पूर्ण हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं०

1	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
			
			
			
2	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
			
			
			

सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

(पदनाम:— कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)